न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—26/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/26

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेन्ट :—

गणपतसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह, जाति राजपूत, उम्र 68 वर्ष, निवासी— ग्राम गुडारामा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज०)

(1) वलम कंवर पुत्री श्री किशोरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गुडारामा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज०)

(2) भंवरसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह, जाति राजपूत, निवासी— ग्राम गुडारामा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज०), हाल प्लोट नं. 45, 12वीं ए पाल रोड, बच्छराज जी का बाग, सरदारपुरा, जोधपुर (राज०)

(3) ग्राम पंचायत निम्बला, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज०)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट अपील बनाराजगी निर्णय
प्रकरण संख्या 03/2021 दिनांक 19/04/2021 बइजलास
तहसीलदार आहोर

उपस्थिति :—
1. श्री रामलाल भाटी , विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे,श्री नवीन दवे विद्वान
3. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः— 24.12.2024

1. न्यायालय तहसीलदार, आहोर के प्रकरण संख्या 03/2021 आदेश दिनांक 19.04.2021 बअनवान महेन्द्रसिह बनाम छैलकंवर वगैरा में पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2020 पूर्ण रूप से गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरीत, मनमाना व त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.01.2020 के द्वारा अपीलांट की ओर से श्रीमान् तहसीलदार, आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2018 (नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 21/2017) के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को खारिज करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है एवं विद्वान तहसीलदार, आहोर ने अपने आदेश दिनांक 11.09.2018 के द्वारा मौजा गुडारामा के वर्तमान खसरा संख्या 131 व 515 में किशोरसिंह पुत्र आईदानसिंह की बजाय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके विधिक वारिसान् भंवरसिंह, गणपतसिंह पि. किशोरसिंह, वलम कंवर पुत्री किशोरसिंह के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश देने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व विद्वान तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिवत निर्णय व आदेश नहीं होने से कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि अपीलांट गणपतसिंह ने श्रीमान् तहसीलदार, आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2018 (नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 21/2017) के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर के समक्ष सन् 2018 में प्रस्तुत कर जाहिर किया कि मौजा गुडारामा के वर्तमान खसरा संख्या 131 रकबा 4.10 हेक्टर व खसरा संख्या 515 रकबा 3.93 हेक्टर की भूमि किशोरसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत, निवासी गुडारामा के खातेदारी व मालिकाना अधिकार की आई हुई थी। किशोरसिंह की मृत्यु दिनांक 10.11.2001 को होने पर उक्त भूमि किशोरसिंह की पत्नि उगम कंवर एवं दोनों पुत्रों गणपतसिंह व भंवरसिंह के में दर्ज की गई थी, क्योंकि उनकी पुत्री वलम कंवर की शादी किशोरसिंह की मृत्यु से 20 वर्ष पूर्व हो चुकी थी और वलम कंवर की शादी के समय जेवरात के रूप में हिस्सा दे दिया था। वलम कंवर की लड़की पुष्पा कंवर की शादी के समय भी अपीलांट ने मामेरा करते हुए रूपये, जेवर व अन्य सामान आदि वलम कंवर को दिये थे।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि किशोरसिंह की मृत्यु के समय वलम कंवर का कोई हक इस खातेदारी भूमि में नहीं बनता था, फिर भी अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना किशोरसिंह की उक्त भूमि में भंवरसिंह, गणपतसिंह व वलम कंवर का समान रूप से उत्तराधिकारी म्यूटेशन भरने का आदेश देने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। पिता की अचल सम्पत्ति में लड़कियों का अधिकार सन् 2005 के बाद उनके पिता की मृत्यु होने पर उत्पन्न हुआ है, जिस कारण से दिनांक 10.11.2001 को किशोरसिंह की मृत्यु पर वलम कंवर को खसरा संख्या 131 व 515 की भूमि में कोई उत्तराधिकारी खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हुए हैं। अपीलांट व भंवरसिंह तथा उगम कंवर (किशोरसिंह की पत्नि) के नाम म्यूटेशन संख्या 238 भरा गया था और उसके बाद उगम कंवर ने हतर्कनामा गणपतसिंह के पक्ष में कर दिया था, लेकिन इन तथ्यों पर अदालत मातहत ने गौर नहीं किया। अपीलांट ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपनी प्रथम अपील में यह कथन भी किया कि रेस्पोन्डेंट वलम कंवर ने मौजा गुडारामा के म्यूटेशन संख्या 238 के विरूद्ध अपील श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, आहोर के समक्ष पेश की थी, जिसका निर्णय दिनांक 11.07.2016 को हुआ और उसके विरूद्ध सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर में द्वितीय अपील पेश की गई, जिसका निर्णय दिनांक 30.03.2017 को हुआ। इन दोनों निर्णयों में सभी पक्षकारानों को सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार, आहोर को पत्रावली भेजी गई थी, लेकिन वकील अपीलांट को पेशी दिनांक 11.09.2018 पर आवाज नहीं दी गई और बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय दिनांक 11.09.2018 पारित किया है। किशोरसिंह की मृत्यु के समय उनकी पत्नि वलम कंवर जीवित थी, जिससे उसे भी उसका हक मिला था जो उसने गणपतसिंह के हक में तर्क किया था। वलम कंवर के बयान दिनांक 15.01.2018 को लिये, तब अपीलांट को जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। अदालत मातहत ने दिनांक 11.09.2018 को अपीलांट या उसके वकील को आवाज नहीं दिलवाई और वलम कंवर अकेले को सुनकर निर्णय पारित किया गया है, जिससे अपीलांट को निर्णय का ज्ञान नहीं था। निर्णय का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 14.12.2018 को आहोर तहसील में अपीलांट के जाने पर हुआ और नकलें मांगी जो दिनांक 18.12.2018 को मिली, तब यह अपील अंदर म्याद पेश की है। फिर भी किसी तरह की देरी मानी जावे तो देरी कन्डोर कर अपील अंदर म्याद शुमार करावें।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि उक्त प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को दर्ज कर संबंधित रेस्पोन्डेंट्स को सम्मन जारी किया और रेकर्ड तलब किया। तदोपरांत विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करते हुए अपील को अंदर म्याद शुमार कर दिया। इसके बाद विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30.01.2020 जैर द्वितीय अपील के द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को खारिज कर दिया।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि अपीलांट ने विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया था कि मौजा गुडारामा के वर्तमान खसरा संख्या 131 रकबा 4.10 हेक्टर व खसरा संख्या 515 रकबा 3.93 हेक्टर की भूमि किशोरसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत, निवासी गुडारामा के खातेदारी व मालिकाना अधिकार की आई हुई थी। किशोरसिंह की मृत्यु दिनांक 10.11.2001 को होने पर उक्त भूमि किशोरसिंह की पत्नि उगम कंवर एवं दोनों पुत्रों गणपतसिंह व भंवरसिंह के खातेदारी में दर्ज की गई थी, क्योंकि उनकी पुत्री वलम कंवर की शादी किशोरसिंह की मृत्यु से 20 वर्ष पूर्व हो चुकी थी और वलम कंवर की शादी के समय जेवरात के रूप में हिस्सा दे दिया था। वलम कंवर की लड़की पुष्पा कंवर की शादी के समय भी अपीलांट ने मामेरा करते हुए रूपये, जेवर व अन्य सामान आदि वलम कंवर को दिये थे। किशोरसिंह की मृत्यु के समय वलम कंवर का कोई हक इस खातेदारी भूमि में नहीं बनता था, फिर भी विद्वान तहसीलदार ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही किशोरसिंह की उक्त भूमि में भंवरसिंह, गणपतसिंह व वलम कंवर का समान रूप से उत्तराधिकारी म्यूटेशन भरने का आदेश देने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है।ष यह स्पष्ट तथ्य विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय समक्ष होते हुए भी उन्होंने इन पर किसी तरह का कोई गौर करके अपीलांट की प्रथम अपील को खारिज करने में भारी कानूनी एवं

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

वाक्याती भूल की है। इस आधार पर भी विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व विद्वान तहसीलदार का आदेश जैर द्वितीय अपील निरस्त किए जाने योग्य हैं।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने द्वौरान वहस अभिकथन किया कि अपीलांट ने विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट किया था कि पिता की अचल सम्पत्ति में लड़कियों का अधिकार सन् 2005 के बाद उनके पिता की मृत्यु होने पर उत्पन्न हुआ है और मौजूदा प्रकरण में दिनांक 10.11.2001 को किशोरसिंह की मृत्यु पर वलम कंवर को खसरा संख्या 131 व 515 की भूमि में कोई उत्तराधिकारी खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हुए हैं। अपीलांट व भंवरसिंह तथा उगम कंवर (किशोरसिंह की पत्नि) के नाम म्यूटेशन संख्या 238 भरा गया था और उसके बाद उगम कंवर ने हकतर्कनामा गणपतसिंह के पक्ष में कर दिया था, लेकिन इन तथ्यों पर विद्वान तहसीलदार ने किसी तरह का कोई गौर नहीं करके आदेश दिनांक 11.09.2018 पारित कर भंवरसिंह, गणपतसिंह पि. किशोरसिंह व वलम कंवर पुत्री किशोरसिंह तीनों के नाम वरावर हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दे दिया है, जो काविले निरस्त है। यह तथ्य विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपलब्ध होते हुए भी उन्होंने इस पर भी किसी तरह का कोई गौर नहीं कर अपीलांट की अपील को निरस्त करने में भारी भूल की है। इस आधार पर भी विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व विद्वान तहसीलदार का आदेश जैर द्वितीय अपील अपास्त किए जाने योग्य हैं।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह स्थित स्पष्ट थी कि अपीलांट ने श्रीमान् अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय दिनांक 30.03.2017 अन्तर्गत अपील संख्या 121/2016 बअनवान गणपतसिंह बनाम वलम कंवर के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत कर रखी है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 18.12.2018 को आदेश दिया कि अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के आदेश दिनांक 30.03.2017 की क्रियान्विती मण्डल में नियत आगामी पेशी तक स्थगित रखी जावे। इसके बावजूद भी विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में इस संबंध में किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया है और न ही विद्वान तहसीलदार, आहोर को इस संबंध में कोई निर्देश ही जारी किए कि जब तक माननीय राजस्व मण्डल से किसी तरह का कोई निर्णय निगरानी में पारित नहीं हो जाता है, तब तक इस भूमि के म्यूटेशन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करे। इन परिस्थितियों में भी यह स्पष्ट है कि विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के विपरीत जाकर प्रथम अपील में निर्णय पारित करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। इस आधार पर भी विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व विद्वान तहसीलदार का आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट बहस की गई थी कि यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार रेस्पोन्डेंट संख्या 1 ने स्व० श्री किशोरसिंह की खातेदारी की भूमि में पुत्री होने के नाते अपना हक होना वतला भी दिया है तो भी रेस्पोन्डेंट संख्या 1 को विवादित कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्व श्री किशोरसिंह का देहान्त हिन्दु उत्तराधिकार (संधोशित) अधिनियम, 2005 के

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

लागु होने से काफी समय पहले ही दिनांक 10.11.2001 हो गया था और इस आधार पर संख्या 1 वलम कंवर विवादित भूमि में अपना कोई भी हक क्लेम करने की अधिकारी नहीं होने से विद्वान तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। इन तथ्यों पर विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गहनता से किसी तरह का कोई विचार ही नहीं किया और मात्र हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में जो संशोधन वर्ष 2005 में किया गया है, उसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 में वर्णित प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार से वंचित नहीं होने को आधार बनाकर अपीलांट की अपील को खारिज करने में भारी कानूनी वाक्याती भूल की है। इस आधार पर भी विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व विद्वान तहसीलदार का आदेश जैर द्वितीय अपील निरस्त व मन्सुख किए जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2020 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 42/2018 बअनवान अपीलांट गणपतसिंह बनाम रेस्पोन्डेंट्स वलम कंवर वगैरह एवं विद्वान तहसीलदार, आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2018 अन्तर्गत नामान्तरकरण सुनवाई प्रकरण संख्या 21/2017 बअनवान प्रार्थी श्रीमती वलम कंवर बनाम अप्रार्थीगण गणपतसिंह वगैरह को निरस्त फरमाए जावें।

6. रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र व पुत्रियों को समान अधिकार है, अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, जालोर एवं तहसीलदार आहोर ने निर्णय सही पारित किया गया है, तहसीलदार आहोर द्वारा वारिसान् की सूची पटवारी हल्का गुडारामा से मंगवाई गई थी। जिसमें दिनांक 3.9.2018 को मृतक किशोरसिंह के जीवित व जायज वारिसान् दोनो पुत्र–भंवरसिंह, गणपतसिंह तथा पुत्री–वलमकंवर बताया है, धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् पुत्री को भी प्रथम श्रेणी की वारिस मृतक के पुत्रों के साथ समान रूप से माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2020 को यथावत रखते हुए अपीलांट की अपील खारिज करावे।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि उगम कंवर ने अपने जीवन काल में गणपतसिंह के पक्ष में हकतर्कनामा पंजीबद्ध कराया है। अतः किशोर सिंह की मृत्यु के समय चार वारिस यथा दो पुत्र, पत्नी, एक पुत्री होने से प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है।एवं तद्परान्त उगम कंवर पत्नी किशोर सिंह द्वारा अपने जीवन काल में गणवतसिंह को हकतर्क करने से उसका प्रभाव भी देखा जायेगा। अतः नामान्तरकरण संख्या 238 को किशोर सिंह की मृत्यु क समय के चारो वारिसान के नाम 1/4 दर्ज किया जावे। एवं तद्उपरान्त उगमकंवर के हिस्से के बाबत हकतर्कनामा के विधिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पृथक से नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लायी जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर के निर्णय दिनांक 30.01.2020 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार,

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

आहोर को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)